बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि ९ अप्रैल १९६३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार तिथि ९ अप्रैल १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

अध्यक्ष—ध्यानाकर्षण की सूचना जो मेरे पास है वह श्री तेज नारायण झा ने दी है। उसमें है कि शिक्षा मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि हाई स्कूलों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये जो असेसमेंट प्रणाली है उसको उठा दिया जायगा। लेकिन अभीतक कोई आदेश इस संबंध में डिपार्टमेंट से नहीं निकला जिस कारण आज शिक्षकों और विद्यार्थियों में कनफिउजन है। इस संबंध में जहां तक मुझे स्मरण है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सरकार इसपर विचार कर रही है।

*श्री तेज नारायण झा—अध्यक्ष महोदय, इस पर दो शब्द मुझे कहना है। अभीतक हमलोगों ने असेसमेंट व्यवस्था के संबंध में जो सदन में बहस की है और माननीय सदस्यों ने उसकी गड़बड़ी के संबंध में जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया था उसपर बहुत वाद-विवाद के बाद शिक्षा मंत्री ने कृपा करके यह सूचना हमलोगों को दी थी कि सरकार इस संबंध में सोच रही है और इसपर हमलोगों का जो इम्प्रेशन हुआ वह यह कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि असेसमेंट प्रणाली उठा दी जाय। अभी हाल ही में जब हमलोग देहातों में गये तो वहां बहुत से हाई स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से भेंट करने का मौका मिला। वहां बड़ी उलझन पैदा हो गई है जो पहले नहीं थी। जब शिक्षा मंत्री ने हाउस को यह सूचना दी और अखबारों में छपा तो उसके बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि असेसमेंट प्रणाली हट

जायगी। इसलिये मैंने इस सूचना के द्वारा शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों में जो उलझन पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिये जरूरी है कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें। सरकार की निश्चित राय जानने के लिये शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का सदन स्वागत करेगा। सदन की हार्दिक इच्छा है कि शिक्षा मंत्री डिपार्टमेंट के द्वारा एक निश्चित आदेश शिक्षा संस्थाओं को दे दें ताकि इस संबंध में जो भ्रम फैला हुआ है वह दूर हो जाय।

श्री एक नारायण चौधरी—उस दिन जब हाई स्कूलों के बारे में प्रश्न उठा था तो

कुछ लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बारे में भी आकृष्ट किया था। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों से असेसमेंट प्रणाली को बन्द करने के बारे में भी शिक्षा मंत्री से मैं सफाई चाहता हूं कि इसके बारे में उनका क्या विचार है।

श्री बैद्यनाथ मेहता—महोदय, इसके संबंध में सरकार का कहना है कि माननीय

शिक्षा मंत्री ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि ऐसी सबों की राय है इसलिये सरकार इस पर विचार करती है कि जल्द-से-जल्द इस प्रथा को समाप्त कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं एक सूचना देना चाहता हूं। सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड की जो सिफारिश आयी है उसमें जिक्र कर दिया गया है कि इस प्रथा का अन्त कर दिया जाय। चूंकि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है इसलिये इसको नहीं भेजा गया है। जब निर्णय लिया जाएगा तब सरकारी आदेश को भेज दिया जायगा। एक्सपेडाइट करने के लिये जल्द-से-जल्द निर्णय लिया जायगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।

NO-CONFIDENCE MOTION AGAINST THE COUNCIL OF MINISTERS.

अध्यक्ष—शांति-शांति। मेरे पास सोशलिस्ट ग्रुप के माननीय सदस्य श्री रामसेवक

सिंह ने मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने की सूचना दी है। वह सूचना इस रूप का है—

महाशय,

मैं वर्त्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव सदन में उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूं। कृपया इसके लिये अनुमति प्रदान की जाय।

"यह सदन वर्त्तमान मंत्रिमंडल पर अविश्वास व्यक्त करता है क्योंकि विगत दिनों से सरकार ने अनेक भयंकर गलतियां की है और इसमें बहुत खामियां भर चुकी है"।

अब मैं आपलोगों से चाहता हूं कि सदन के जो माननीय सदस्य इस अविश्वास के प्रस्ताव पर अनुमति देना चाहते हैं, वे कृपया खड़े हो जाय।

(प्रस्ताव के पक्ष में पांच सदस्य खड़े हुए।)

अध्यक्ष—सचिव इसकी गणना करें।

चूंकि ३१ सदस्य से कम सदस्य खड़े हुये हैं इसलिये अनुमति नहीं मिली।